

कार्यालय :— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या –19M(15)/2001 113

दिनांक – 20.6.16

प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्य सेवा हित में विभागीय अधिसूचना संख्या—1023 दिनांक 06.03.2002 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में इस कार्यालय के द्वारा निर्गत आदेश संख्या 101 दिनांक 24.05.2016 को निरस्त करते हुए श्री श्रवण कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी, राँची वनरोपण प्रक्षेत्र राँची वन प्रमण्डल, राँची को अगले आदेश तक अपने कार्य के अतिरिक्त वन क्षेत्र पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, राँची के द्वैत प्रभार में रहने का आदेश दिया जाता है।

उक्त वन प्रक्षेत्र में सरकार के स्तर से किसी अन्य वन क्षेत्र पदाधिकारी का पदस्थापन होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आवश्यक समझे जाने पर उक्त व्यवस्था कभी भी सरकार/अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवक्रमित की जा सकेगी।

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक –19M(15)/2001

दिनांक –

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक –19M(15)/2001

दिनांक –

प्रतिलिपि :— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राँची रीजन राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रचार एवं प्रसार प्रमण्डल, झारखण्ड, राँची/श्री श्रवण कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक –19M(15)/2001 ११४३

दिनांक – 20.6.16

प्रतिलिपि :— Envis Centre, Ranchi को विभागीय वेबसाईट पर PCCF Instruction Tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

२०.६.२०१६
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।